233

संख्याः– /XVIII(II)/2016–01(30)/2016

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादून दिनांक 18 अक्टूबर, 2016

विषयः–मै0 रत्नाप्रिया इम्पैक्स, प्रा0लि0, नई दिल्ली को जनपद टिहरी गढवाल के ग्राम डडुवा एवं भण्डाली, तहसील देवप्रयाग में औद्योगिक प्रयोजनार्थ (ब्रेवरी/वियर निर्माण) हेतु कुल 2.948 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–3283/V–6(2011–12) दि0–23.07.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै0 रत्नाप्रिया इम्पैक्स, प्रा0लि0, नई दिल्ली को जनपद टिहरी गढवाल के ग्राम डडुवा एवं भण्डाली, तहसील देवप्रयाग में औद्योगिक प्रयोजनार्थ (ब्रेवरी/वियर निर्माण) हेतु कुल 2.948 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा– 154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओ के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैः–

1– आवेदक/क्रेता द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का स्टाम्प शुल्क उक्त निर्धारित प्रयोजन के अनुसार ही जमा किया जायेगा।

2– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (वियर) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है, अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है, तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

.....2

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग प्रस्तावित उद्योग की स्थापना के लिए ही किया जायेगा।

9– इकाई राज्य सरकार/शासन के सम्बन्धित विभाग से प्रस्तावित औद्योगिक उत्पाद के विनिर्माण हेतु सभी आवश्यक अनुज्ञायें/स्वीकृतियां स्वयं प्राप्त कर उद्योग की स्थापना करेगी।

10– प्रस्तावित भूमि पर उद्योग स्थापना में भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों/सुविधाओं का लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग प्रस्तावित उद्योग की स्थापना के लिए ही किया जायेगा।

11– भूमि क्रय के उपरान्त निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्माण का प्लान क्षेत्र के सक्षम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12– आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

13– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि को धारा–143 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन कराना आवश्यक होगा।

14– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भार मुक्त/बन्धक मुक्त एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाए।

15– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

16– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

17– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

.....3

18– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

19– संबंधित इकाई द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) से शून्य आधारित(zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

20– इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक पदार्थो का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाएगा।

21– संबंधित इकाई द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) हेतु शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

22– जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारें चेक रोड़, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

23– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0–2183 /XVIII(II)/2016–01(30)/2016 समदिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4– मै0 रत्नाप्रिया इम्पैक्स प्रा0लि0, एफ–33/4 ओखला इण्डस्ट्रिल एरिया, फेस–II, नई दिल्ली।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।